लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन–2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS-LSBA/Estt/07/16/252 दिनांक 26/08/2017

प्रेषक,

बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार।

विषयः पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित **"स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि"** कार्यक्रम अंर्तगत आयोजित प्रतियोगिता के संबंध में।

महाषय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित **"स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि"** कार्यक्रम अंर्तगत प्रतियोगिता आयोजित किया जाना है। जिसमें सभी स्तरों से भागीदारी निभाने, प्रदेश को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने एवं स्थानीय प्रेरकों के साथ समन्वय स्थापित कर भावी रणनीति तैयार करने के लिये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कृतसंकल्पित है।

प्रतियोगिता दो स्वरुपों में आयोजित किया जाना है, जो निम्नवत् हैः–

1. निबंध प्रतियोगिता (अधिकतम 250 शब्द)
   विषयः मैं स्वच्छता के लिये क्या करुँगा/करुँगी

2. लघु फिल्म प्रतियोगिता (अधिकतम 2 से 3 मिनट)
   विषयः भारत को स्वच्छ बनाने में मेरा योगदान
   (अंतिम तिथि : 8 सितम्बर 2017)

प्रतियोगिता में उपरोक्त विषय (निबंध एंव लघु फिल्म) पर किसी भी व्यक्ति (महिला/पुरुष एवं बच्चे) द्वारा भाग लिया जा सकता है और अपने अभिव्यक्ति/भावना/सकारात्मक सोच/व्यक्तिगत एवं सामाजिक कियात्मक बिंदुओं को निबंध या लघु फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है।

उक्त हेतु किसी संस्थान, विद्यालय एवं दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूहों के समन्वय से तैयार सामग्री स्वीकार्य नहीं होगा।

उपरोक्त प्रतियोगिता के प्रचार–प्रसार हेतु, इस आशय की सूचना जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, जीविका समूह, पंचायत प्रतिनिधिगण इत्यादि को सूचना पत्र या अन्य माध्यमों यथा प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय सिनेमाघरों/केवल नेटवर्क, सामाजिक संचार माध्यम, व्हाटसप, फेसबुक, ट्वीटर आदि से भी दिया जाय।

प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर प्रतिभागियों के आवेदन को एकत्रित किये जाने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करते हुए इसका प्रचार–प्रसार (मोबाइल नं0 सहित) किया जाय।

एकत्रित आवेदनों के समीक्षा और पुरस्कार हेतु चयन किये जाने के लिये प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 से 5 सदस्यों का एक समिति गठित की जाय एवं उक्त समिति द्वारा निम्नरुपेण, निधार्रित तिथियों के अनुसार कार्य संपादित किया जाय –

कम सं0	संपादित किये जाने वाले कार्य	अंतिम तिथि	अभ्युक्ति
1.	प्रचार–प्रसार हेतु सूचना संप्रेषण	30 अगस्त	30 अगस्त तक सभी स्तरों पर सूचना संप्रेषित किया जाना है।
2	निबंध एवं लघु फिल्मों का एकत्रिकरण	8 सितम्बर	8 सितम्बर को अपराह्न 5 बजे तक प्रखण्ड/जिला स्तर पर आवेदनों (लघु फिल्में और निबंध) को नामित नोडल पदाधिकारी एकत्रित करेगें।
3.	जिला/प्रखण्ड स्तर पर एकत्रित निबंध एवं लघु फिल्मों का चयन कर जिला को भेजना	10 सितम्बर	10 सितम्बर को अपराह्न 2 बजे तक जिला स्तर पर सभी प्रखण्डों/जिला से प्राप्त आवेदनों में से तीन सर्वश्रेष्ठ आवेदनों (लघु फिल्में और निबंध) को चयनित कर अपराह्न 5 बजे तक जिला जल एवं स्वच्छता समिति कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेगें।
4.	पुरस्कार हेतु निबंधों एवं लघु फिल्मों का जिला स्तर पर चयन	12 सितम्बर	12 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक सभी स्तरों से उपलब्ध कराये गये आवेदनों (लघु फिल्में और निबंध) को जिला स्तरीय समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ तीन आवेदनों का चयन किया जायेगा।
5.	पुरस्कार हेतु निबंधों एवं लघु फिल्मों को राज्य स्तर पर प्रेषण	12 सितम्बर	12 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक जिलों से चयनित तीन आवेदनों को राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई को प्रेषित किया जाना है।
6.	राज्य स्तर पर तीन श्रेष्ठ आवेदनों का चयन कर पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषण	15 सितम्बर	15 सितम्बर को अपराह्न 2 बजे तक जिलों से प्राप्त आवेदनों को मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तीन श्रेष्ठ आवेदनों (लघु फिल्में और निबंध) को चयनित कर पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।

सभी स्तरों पर प्राप्त आवेदनों (निबंध एवं लघु फिल्म) को जिला स्तर पर अभिलिखित कर संधारित किया जायेगा।

श्रेष्ठ तीन आवेदनों को जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दोनों स्वरुपों (निबंध और लघु फिल्म को अलग–अलग) में पुरस्कृत किये जाने हेतु निम्न प्रोत्साहन राशि निर्धारित किया जाता है, जिसे SBMG - IEC मद से व्यय किया जायेगा।

स्तर	राशि रुपये में	श्रेणी
जिला	5000/–	प्रथम
	3000/–	द्वितीय
	2000/–	तृतीय
राज्य	10000/–	प्रथम
	7000/–	द्वितीय
	5000/–	तृतीय

पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जायेगा, प्रारुप पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित बिंदुओं के आलोक में अग्रेतर कारवाई करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

26/08/17

(बालामुरुगन डी0)

ज्ञापांकः BRLPS-LSBA/Estt/07/16/252 दिनांक 26/08/2017

प्रतिलिपिः सभी उप विकास आयुक्त–सह–निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/08/17

(बालामुरुगन डी0)

District Logo if any

“स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि”
लघु फिल्म प्रतियोगिता में

श्री/सुश्री/श्रीमति.................................
ग्राम .... प्रखण्ड:.............जिला......................को.................
प्रथम/द्वितीय/तृतीय..... पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति

उप विकास आयुक्त

District Logo if any

''स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि''

निबंध प्रतियोगिता में

श्री / सुश्री / श्रीमति.................................
ग्राम .... प्रखण्डः.............जिला......................को.................
प्रथम / द्वितीय / तृतीय..... पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

उप विकास आयुक्त

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति